

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक - 100

प्रकरण क्रमांक -SM-EXP-2024-02235

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध "सेक्टर-29 टाउनशिप", प्रमोटर-छ.ग. हाउसिंग बोर्ड,
सी.पी.डी.-01, द्वारा-कार्यपालन अभियंता, पता-पंचम तल कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स,
नया रायपुर (छ.ग.)

प्रोजेक्ट-"सेक्टर-29, टाउनशिप " पता-नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
06/03/2024	<p>- प्रकरण प्रस्तुत।</p> <p>- भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 धारा-5, अंतर्गत अनावेदक का प्रोजेक्ट "सेक्टर-29, टाउनशिप" पंजीयन क्रमांक-PCGRERA040718000436 के रूप में छत्तीसगढ़ रेरा में दिनांक 04.07.2018 से पंजीकृत कराया गया है। उक्त प्रोजेक्ट की रेरा पंजीयन की वैधता दिनांक 30.08.2018 को समाप्त हो चुकी है। प्रमोटर द्वारा उक्त प्रोजेक्ट का पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा-3 अनुसार प्रोजेक्ट अवैध प्रोजेक्ट की श्रेणी में आ चुका है। उक्त कृत्य भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा-3 के उपबंधों का उल्लंघन है, जिसके लिये अधिनियम की धारा-59 के अधीन प्रोजेक्ट लागत का 10 प्रतिशत तक शास्ति अधिरोपित किये जाने का प्रावधान है।</p> <p>रजिस्ट्रार, छ.ग द्वारा प्रतिवेदन दिनांक 24.11.2023 के अनुसार यह पाया गया है कि संबंधित प्रमोटर द्वारा अधिनियम के उक्त प्रावधानों का अवहेलना व उल्लंघन करते हुये उक्त प्रोजेक्ट की वैधता समाप्त होने के बावजूद प्रोजेक्ट का पूर्णता प्रमाण पत्र नियमानुसार प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः प्राधिकरण द्वारा अनावेदक के विरुद्ध दिनांक 07.02.2024 को प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।</p> <p>- अनावेदक द्वारा प्रस्तुत जवाब में लेख किया गया है कि उपरोक्त योजना के कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र संलग्न कर रेरा पंजीयन निरस्त किये जाने पत्र प्रेषित किया गया है। चूँकि उक्त योजना का कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र दिनांक 30.06.2015 को जारी किया जा चुका है, जो भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 के प्रवर्तन के पूर्व होने के कारण पंजीयन निरस्त किये जाने का पात्र है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अनावेदक द्वारा प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट का कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र संलग्न कर पंजीयन समाप्त/निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।</p>	

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक - 100

प्रकरण क्रमांक -SM-EXP-2024-02235

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध "सेक्टर-29 टाउनशिप", प्रमोटर-छ.ग. हाउसिंग बोर्ड,
सी.पी.डी.-01, द्वारा-कार्यपालन अभियंता, पता-पंचम तल कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स,
नया रायपुर (छ.ग.)

प्रोजेक्ट-"सेक्टर-29, टाउनशिप " पता-नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	<p>- प्राधिकरण द्वारा प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट से संबंधित समस्त दस्तावेजों का अवलोकन व अध्ययन किया गया। अनावेदक द्वारा प्रोजेक्ट को विकसित किया गया है और सक्षम प्राधिकारी से दिनांक 30.06.2015 को पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने के कारण समाप्त किया जाता है।</p> <p>- आदेश की प्रति प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड की जावे।</p> <p>- प्रकरण नस्तीबद्ध कर, अभिलेख कोष्ठ में दाखिल किया जावे।</p> <p style="text-align: center;">सही / - (धनंजय देवांगन) सदस्य</p> <p style="text-align: center;">सही / - (संजय शुक्ला) अध्यक्ष</p>	